न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा आर ए एस)

प्रकरण संख्या 187/2014 प्रार्थनापत्र एलआर

अनवान

1. कुसुम पत्नि श्री मुकेश मारू(जैन) निवासी बी 438 शास्त्री नगर भीलवाडा

.... प्रार्थी

बनाम

1. शंकर लाल पिता श्री नन्दराम जीनगर निवासी बनेडा
2. रमेश चन्द्र पुत्र श्री नन्दराम निवासी बनेडा
3. विष्णु पुत्र श्री नन्दराम निवासी बनेडा
4. बसन्ती लाल पुत्र श्री नन्दराम निवासी बनेडा
5. कालू पुत्र श्री भोजा निवासी कमालपुरा
6. चांदू पुत्री भोजा गुर्जर निवासी कमालपुरा
7. सुखा पुत्र श्री लादू गुर्जर निवासी कमालपुरा
8. जगदीश पुत्र श्री लादू गुर्जर निवासी कमालपुरा
9. नारायणी पुत्र श्री लादू गुर्जर निवासी कमालपुरा
10. श्रीमती काली पत्नि श्री राजु गुर्जर निवासी कमालपुरा
11. भैरू पुत्र श्री मांगू भील निवासी नानोदिया
12. श्रीमती गमगनी देवी पत्नि श्री लादू धोबी निवासी सरदारनगर
13. डालचन्द पुत्र श्री सोहन लाल खटीक निवासी चमनपुरा
14. मदन लाल पुत्र सोहन लाल खटीक निवासी चमनपुरा
15. राधेश्याम पुत्र श्री सोहन लाल खटीक निवासी चमनपुरा
16. कमला पुत्री सोहन खटीक निवासी चमनपुरा
17. नानू देवी पुत्र श्री सोहन लाल खटीक निवासी चमनपुरा
18. लाल मोहम्मद पुत्र श्री अलादीन खां निवासी सरदारगर
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा

......विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::–**श्री इकबाल मोहम्मद छीपा वकील प्रार्थी**

–:: आदेश ::–

दिनांक 17/6/2015

1.प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि **प्रार्थी** ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम **चमनपुरा** पटवार मण्डल **चमनपुरा** तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में **आराजी नम्बर 1438/170 कुल किता 01 कुल रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा भूमी दर्ज** रिकॉर्ड है, जिसके कोई पुख्ता सीमाचिह्न नहीं होने की वजह से विपक्षीगण पड़ौसियान से अकसर विवाद होता रहता है। **प्रार्थी** ने विपक्षीगण को अपनी आराजियात बाबत् पत्थरगढ़ी कराने के लिए कहा किन्तु उनके द्वारा इन्कार कर दिए जाने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः **प्रार्थी** की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रसारित किए गए। इस प्रकार **प्रार्थी** के प्रार्थनापत्र पर विपक्षीगण की ओर से कोई आपत्ति एवं एतराज रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। **प्रार्थी** पक्ष को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन किया गया। **प्रार्थी** उक्त आदेश की चरण सं. 1 में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी ... प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम चमनपुरा पटवार मण्डल **चमनपुरा** तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा **में आराजी नम्बर** 1438/170 **कुल किता 01 कुल रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा भूमी दर्ज** रिकॉर्ड है पत्थरगढ़ी बसामलात समस्त हितबद्ध पड़ौसान के किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक **महुआखुर्द** को 500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी हित बद्ध पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 17/6/2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1– तहसीलदार बनेड़ा

2– भु अभिलेख निरीक्षक महुआखुर्द तह. बनेड़ा

(नन्दकिशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा